भारत में एक साथ चुनाव की मांग

प्रलिम्सि के लयि:

एक साथ चुनाव, लोकसभा, आदर्श आचार संहति, इलेक्ट्रॉनकि वोटगि मशीन, मतदाता सत्यापनकरत्ता पेपर ऑडटि ट्रेल (VVPAT) मशीन

मेन्स के लयि:

एक साथ चुनाव से लाभ और चुनौतयिाँ, एक साथ चुनाव पर वधि आयोग का रुख

स्रोत: द हदि्

चर्चा में क्यों?

चुनाव सुधार की दशा में एक कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सतिंबर 2023 में **छह सदस्यीय पैनल का गठन** करके इसे गति दी, जसि **लोकसभा, राज्य वधिनसभाओं और स्थानीय नकियों के लयि एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता की जाँच करने की बड़ी ज़मि्मेदारी सौंपी गई।**

एक साथ चुनाव क्या है?

- संदर्भ:
  - एक साथ चुनाव, पूरे देश में एक ही समय में **लोक सभा (संसद का नचिला सदन), राज्य वधिनसभाओं और नगर पालकिाओं एवं पंचायतों जैसे स्थानीय नकियों के चुनाव कराने के वचिार को संदर्भति** करता है।
  - यह अवधारणा शासन के इन वभिनि्न स्तरों के चुनावी चक्रों को साथ-साथ करवाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, जसिका उद्देश्य आदर्श रूप से हर **पाँच साल में एक बार सभी चुनाव एक साथ** आयोजति करना है।
- **भारत में एक साथ चुनाव का इतहिास:** भारत में शुरुआती **चार आम चुनावों में लोकसभा और राज्य वधिनसभा चुनाव एक साथ हुए।**
  - **वर्तमान में लोकसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, ओडशिा, अरुणाचल प्रदेश और सक्किमि में वधिनसभा चुनावों के साथ संरेखति हैं।**
- **एक साथ/समकालकि चुनाव के लाभ:**
  - संसाधन दक्षता: वभिनि्न स्तरों पर चुनाव कराने के लयि महत्त्वपूर्ण वत्तिीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। चुनावों को एक साथ कराने से ये खर्च समेकति हो जाएंगे, जसिसे सरकार की लागत में काफी बचत होगी।
  - अनुकूलति प्रशासन: एक साथ चुनाव से सुरक्षा बलों और प्रशासनकि कर्मचारियों की तैनाती सुव्यवस्थति होगी, चुनाव-संबंधी कर्त्तव्यों के कारण होने वाले व्यवधान कम होंगे और अधकिारियों को शासन एवं वकिास पर नरिंतर ध्यान केंद्रति करने की अनुमति मलिेगी।
  - नीतयिों में नरितंरता: एक साथ चुनाव होने से आदर्श आचार संहति के कारण नीति कार्यान्वयन में रुकावटें कम होंगी, जसिसे अधकि नरिंतर और सुशासन सुनश्चिति होगा।
  - मतदान प्रतशित में वृद्धि: चुनावों की आवृत्ति कम करने से मतदाताओं की थकान दूर हो सकती है और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ सकती है, जसिसे अधकि प्रतनिधिकि परणािम प्राप्त होंगे तथा नरि्वाचति प्रतनिधियिों के लयि वैधता बढ़ेगी।
  - जवाबदेही में वृद्धि: जब मतदाता शासन के वभिनि्न स्तरों के लयि एक साथ मतदान करते हैं, तो राजनेताओं को वभिनि्न स्तरों पर उनके कार्यों के लयि जवाबदेह ठहराया जाता है, जसिसे अधकि व्यापक जवाबदेही संरचना को बढ़ावा मलिता है।
  - ध्रुवीकरण में कमी: एक साथ चुनाव संभावति रूप से राष्ट्रीय मुद्दों को सामने लाकर क्षेत्रीय, जातिआधारति या सांप्रदायकि राजनीति के प्रभाव को कम कर सकते हैं, जसिसे अधकि समावेशी अभयिान और नीतनिर्िमाण को बढ़ावा मलिेगा।
- **संबद्ध चुनौतयिाँ:**
  - **संवैधानकि संशोधन:** चुनावों को सक्रिनाइज़ करने के लयि वभिनि्न संवैधानकि अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होती है।
    - कार्यकाल के प्रावधानों में बदलाव, वधिायी नकियों का वघिटन और वभिनि्न चुनाव चक्रों को संरेखति करना पर्याप्त कानूनी चुनौतयिाँ उत्पन्न करता है।
    - उदाहरण के लयि **अनुच्छेद 83(2), 85(2), 172(1)** और **174(2)** जैसे अनुच्छेद लोकसभा एवं राज्य वधिनसभाओं की अवधि तथा वघिटन को नयिंत्रति करते हैं, कुछ परस्थितियिों में ये समय से पहले वघिटन की अनुमति देते हैं, जनि्हें एक साथ चुनाव के लयि नरिस्त करने की आवश्यकता होगी।

नोट:

- **अनुच्छेद 85 (1) और 174 (2)** राष्ट्रपति व राज्यपाल को संविधान में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व लोकसभा एवं राज्य विधानसभा को भंग करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
- **अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 352** के तहत आपातकाल घोषित होने की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाने की अनुमति देता है।
- वर्तमान में **10वीं अनुसूची (52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985) में निहित दल-बदल विरोधी कानून** के पारित होने तथा तदोपरांत एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा रामेश्वर प्रसाद मामले (2006) में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य विधानसभा को भंग करने एवं अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - यदि न्यायालय को राष्ट्रपति शासन का आधार संवैधानिक रूप से विधिमान्य नहीं लगता है, तो वह विधानसभा को प्रवर्तित कर सकता है एवं सरकार को बहाल कर सकता है जैसा कि हाल के वर्षों में **नगालैंड, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश** के मामले में हुआ है।

- **संघीय शासन संबंधी चिंताएँ:** भारत की संघीय संरचना में विभिन्न राजनीतिक परिदृश्य वाले कई राज्य शामिल हैं।
  - एक साथ चुनाव की दिशा में किसी भी निर्णय लेने के लिये **राज्यों के बीच व्यापक सहमति** की आवश्यकता होती है, जिसके **विभिन्न राजनीतिक एजेंडे** हो सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन राज्य का विषय होने के कारण संयुक्त रूप से आम तथा स्थानीय निकाय चुनाव कराने में बाधाएँ आती हैं, **जिसके लिये विभिन्न राज्य विधियों (28 राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों एवं नगरपालिका अधिनियमों के 56 विधिक प्रावधान) में बदलाव की आवश्यकता** होती है।
- **प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचा:** [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)](#) **तथा** [मतदाता सत्यापनकर्त्ता पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)](#) जैसे तकनीकी बुनियादी ढाँचे को बड़े पैमाने पर अद्यतन करने से खरीद, रखरखाव तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **उप-चुनाव और विधानपरिषद:** सभी चुनावों को एक साथ कराने से **उप-चुनाव तथा विधानपरिषदों के चुनाव** बाहर हो सकते हैं, जिससे प्रतिनिधित्व एवं शासन में संभावित अंतराल पैदा हो सकता है।
- **विविध राजनीतिक परिदृश्य:** भारत की बहुदलीय प्रणाली में **विविध राजनीतिक विचारधाराएँ एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ** शामिल हैं।
  - एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है एवं छोटे अथवा क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

एक साथ चुनाव पर विधि आयोग का रुख क्या है?

- **एक साथ चुनावों** पर [विधि आयोग](#) की **अगस्त 2018 में जारी** मसौदा रिपोर्ट में भारत में एक साथ चुनाव कराने की चुनौतियों और प्रस्तावित समाधानों की जाँच की गई थी।
- **चुनाव के समन्वय के लिये प्रस्तावित रूपरेखा:**
  - **चुनावी चक्र को कम करना:** पाँच वर्षों में दो बार चुनाव कराने की सिफारिश।
  - **एक कैलेंडर वर्ष में सभी चुनाव कराना:** यदि एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, तो एक कैलेंडर वर्ष में सभी चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
  - **रचनात्मक अविश्वास मत:** मौजूदा सरकार के विघटित होने से पूर्व वैकल्पिक सरकार में विश्वास सुनिश्चित करने के लिये 'अविश्वास मत' को 'रचनात्मक अविश्वास मत' में बदलने की सिफारिश की गई है।
  - **त्रिशंकु सभा प्रस्ताव:** यह **उन स्थितियों को हल करने के लिये एक प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है, जहाँ किसी भी दल को सरकार बनाने के लिये बहुमत प्राप्त नहीं होता है**, जिसमें मध्यावधि चुनाव से पहले सबसे बड़ा दल/गठबंधन को सरकार बनाने का प्रयास करने का अवसर शामिल होता है।
  - **समयबद्ध अयोग्य सिद्ध किया जाना:** इसमें पीठासीन अधिकारी को छह महीने के भीतर अयोग्यता के मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिये **दल-बदल विरोधी कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया गया है।**
- **अक्तूबर 2023 के अंत में** एक साथ चुनावों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिये **गठित पैनल ने वर्ष 2029 तक संसदीय और विधानसभा चुनावों को समन्वित करने** पर चर्चा के लिये विधि आयोग के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

निष्कर्ष:

भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिये यह आवश्यक है कि **विविध क्षेत्रीय गतिशीलता की जटिलताओं और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के बीच समन्वय बनाने हेतु एक संतुलित, परामर्शात्मक दृष्टिकोण** अपनाया जाए। वृद्धिशील कदम, हितधारक परामर्श तथा अनुकूलनीय ढाँचे एक समकालिक चुनावी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हुए संघीय संरचनाओं की मर्यादा को बनाए रखती हो।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/quest-for-simultaneous-elections-in-india